भोपाल के करोंद में मटकी फोड़ मुकाबला, देश भर से पहुंची गोविंदा टीमें; चंकी पांडे, राजपाल यादव पहुंचे

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल में करोंद के भगत सिंह चौराहे पर रविवार को मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 20 वर्षों से आयोजित हो रही प्रतियोगिता का आयोजन शाम 7 बजे से भगत सिंह चौराहा, करोंद पर किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेशभर से गोविंदा टीमें हिस्सा लेंगी। विजेता टीम को एक लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

बॉलीवुड कलाकारों के अलावा भजन गायक भी आएंगे

मटकी फोड़ आयोजन समिति के प्रमुख एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुमित पचौरी ने बताया कि इस बार आयोजन में बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा, अभिनेता चंकी पांडे और राजपाल यादव शामिल होंगे। वहीं प्रसिद्ध भजन गायक प्रमोद त्रिपाठी अपनी प्रस्तुति से माहौल को भक्तिमय बनाएंगे।

रामेश्वर शर्मा बोले- भोपाल वाला नहीं, इस्लामाबाद वाला: कार्यक्रम में शामिल हुए हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा- हिंदू एकता, राष्ट्रवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर तीखे बयान दिए। हिंदू एकता केवल मटकी फोड़ने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि समाज को हर स्तर पर एकजुट रहना चाहिए।

रामेश्वर शर्मा ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब लाहौर, ढाका और इस्लामाबाद में भी मटकी फोड़ प्रतियोगिता आयोजित होगी।

उन्होंने मंच से लोगों से पूछा कि 'इस्लामाबाद में मटकी फोड़ना चाहते हो कि नहीं?' इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद में मटकी फोड़नी है तो पहले वहां की मटकी फोड़नी पड़ेगी। विधायक ने मिसाइल और सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह करोंद चौराहे पर मिसाइल लगाकर उसे काजी कैंप में गिराने की बात कही जा सकती है, उसी तरह आतंकवाद के खिलाफ भारत अपनी ताकत दिखा सकता है।

50 दिन में ट्रांसफर से दुखी हुई आईएएस नेहा मारव्या:लिखा- 'पिछले एक साल में मेरा चौथा तबादला, हतोत्साहित महसूस कर रही हूं'

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

2011 बैच की आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या सिंह का 50 दिन में फिर तबादला हुआ तो उन्होंने आईएएस अधिकारियों के ग्रुप में अपना दर्द साझा किया। 5 सितंबर की ट्रांसफर सूची में नाम आने के बाद नेहा ने लिखा कि पिछले एक साल में यह चौथी बार है, जब उनका नाम स्थानांतरण सूची में आया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके अधीनस्थ नहीं बल्कि विभाग के अधीन आने वाले कर्मचारियों ने उनके खिलाफ विद्रोह किया, मेज थपथपाकर तबादला कराने की धमकी दी। उन्होंने अनुशासनहीनता, फाइलें रोकने और दुर्व्यवहार की शिकायत की, लेकिन कार्रवाई की जगह उनका ही तबादला कर दिया गया। नेहा ने अपने संदेश में कहा कि वह जानती हैं कि आईएएस अधिकारी होने के नाते सरकार उन्हें जहां चाहे वहां काम करने के लिए कह सकती है और उन्होंने हमेशा आदेशों का सम्मान किया है। लेकिन इस बार वह खुद को बहुत हतोत्साहित महसूस कर रही हैं। उन्होंने आईएएस अधिकारी संघ से भी उम्मीद जताई कि उनकी शिकायत का कोई समाधान निकलेगा। 5 सितंबर के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में नेहा मारव्या को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम बनाया गया है। साथ ही उन्हें अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन के समकक्ष पद घोषित किया गया है।

इससे पहले उनके पास आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के संचालक, MAPCET के प्रबंध संचालक, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध संचालक और आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान के संचालक का अतिरिक्त प्रभार था। पहले भी विवादों में रही हैं नेहाः नेहा मारव्या के प्रशासनिक करियर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद और विवादों की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं। 2017 में शिवपुरी जिला पंचायत सीईओ रहते हुए तत्कालीन कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव से उनका विवाद सामने आया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कलेक्टर के इस्तेमाल में आ रही किराए की सफारी गाड़ी के भुगतान को लेकर नेहा ने आपत्ति जताई थी।

निर्धारित दर से अधिक भुगतान होने का हवाला देकर उन्होंने बिल रोक दिया था।

भोपाल के बड़ा तालाब की हद जानने ड्रोन सर्वे, गौहर महल के पास से उड़ा ड्रोन

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

नेशनल ग्रीन ट्रूब्नल (एनजीटी) के आदेश के बाद गठित टीम रविवार को भोपाल के बड़ा तालाब और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन से सर्वे करने पहुंची। गौहर महल से ड्रोन सर्वे की शुरुआत की गई। दूसरी टीम ने अलग-अलग स्थानों पर स्थलीय निरीक्षण और ग्राउंड ट्रुथिंग का कार्य भी समानांतर रूप से किया। इधर, बैरागढ़ एसडीएम वृत्त की टीम ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की।

सर्वे के दौरान पर्यावरणविद् और याचिकाकर्ता डॉ. सुभाष सी. पांडे, राशिद नूर भी मौजूद रहे। सर्वे के दौरान कई स्थानों पर तालाब की सीमा, फुल टैंक लेवल और ग्रीन बेल्ट के चिन्हांकन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए। कई जगह रिटेनिंग

वॉल के ऊपर से पानी बहता हुआ पाया गया। करबला पंप हाउस के सामने, श्रीन नदी के आसपास और अन्य स्थानों पर तालाब में जलकुंभी एवं पानी में उगने वाली घास का फैलाव भी दिखाई दिया।

खानूगांव क्षेत्र में कई स्थानों पर स्रन्ङ्ग्रु एवं ग्रीन बेल्ट के मुनारे मौके पर दिखाई नहीं दिए। इसके बाद टीम द्वारा उन स्थानों का भी निरीक्षण किया गया, जहां पानी वास्तविक रूप से काफी आगे तक फैला हुआ पाया गया।

न्यायालय नायब तहसीलदार नजूल वृत्त-2 गोविन्दपुरा, भोपाल

आम सूचना

प्रकरण क्रमांक /914/अ-6/26-27

आवेदिका श्रीमति कमला बाई पत्नि श्री कमलेश चन्द्र निवासी 66 नायसमद नया समुंद्र जिला भोपाल म.प्र. द्वारा स्थित भूमि ग्राम भानपुर खसरा कमांक 44, 45, 47 के अंशभाग में से रकबा 600 वर्गफिट भूमि का नामांतरण किये जाने हेतु, भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में अपत्ति प्रस्तुत ना करने की दशा में या बाद में की गयी आपत्ति पर न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। उदघोषणा न्यायालय की मुद्रा में मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया है।

नायब तहसीलदार
नजूल वृत्त-2 गोविन्दपुरा भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्रं. 2753/अ-6/2026-27

इश्तहार

आवेदक दिनेश कुमार मांढ़रे पिता स्व. श्री सम्पत राव मांढ़रे ग्राम बैरागढ़ चीचली द्वारा ग्राम स्थित खसरा नंबर 110/1 क्षेत्रफल 0.4600 का विक्रयपत्र/ फौती/ वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 09/09/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार
तहसील कोलार भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील-कोलार, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 1415/अ-6/2025-26

:: उद्घोषणा पत्र ::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक श्री हर्षल पुराणिक आत्मज श्री मनोज पुराणिक निवासी 41 फेस-2 गोल्डन सिटी होशगाबाद रोड म.प्र.भू.रा. सहिंता 1959 की धारा 109, 110 अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। ग्राम जाटखेडी प.ह.न. भूमि खसरा नंबर 94/2/1/1 गोल्डन सिटी फेस-2 ग्राम जाटखेडी प्लाट क्रमांक 41 रकबा 2762 वर्गफुट भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवदेक के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह 17/09/2026 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 2/9/2026 को जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील-कोलार भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-1, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक- 3006/अ-6/सन्-2026-27
मौजा- लाम्बाखेडा तहसील हुजूर, भोपाल

:: उद्घोषणा पत्र ::

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। श्रीमती प्रभा साहू पत्नि श्री उमेश गुप्ता निवासी-मं.नं.-एम-10, कैलाश नगर, सेमरा कलां भोपाल म0प्र0 ने म.प्र.भू-रा. संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज के आधार पर क्रय की गई भूमि स्थित ग्राम लाम्बाखेडा तहसील हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक- 4/3/2 कुल रकबा 1.250 हे. में से 0.004 हे. भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 03/07/2026 को या इस से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। है। समया वधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक को 15/7/2026 जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील-हुजूर, भोपाल

न्यायालय तहसीलदार, वृत्त-3, तहसील-हुजूर, जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 5031/अ-6/2026-27
मौजा- रसूलिया पठार तहसील हुजूर भोपाल

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। आवेदक पुष्पा ताम्रकार आ. के एम् ताम्रकार निवासी मउ रोड नियर भारत पेट्रोल पम्प टीकमगड मध्य प्रदेश के द्वारा म.प्र.भू.रा संहिता 1959 की धारा 109-110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्र 4/3447 दिनांक 30-01-2013 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्र 224,228, 229, 194/2 व् अन्य रकबा 1450 वर्गफीट भूमि स्थित ग्राम रसुलिया पठार प.ह.न.-55 तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में क्रेता जे नाम स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ सलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं राजस्व अभिलेखों की नक़ल प्रस्तुत की गई है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचारधीन है।

2- उक्त सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 10-09-2026 को या इससे पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 20-08-2026 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं। की मै रामेश्वर मेहरा आत्मज मोतीलाल मेहरा आयु वयस्क निवासी ग्राम चौराहेट तहसील माखन नगर जिला नर्मदपुरम, मध्यप्रदेश का हूँ। यह की मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम अक्षिता मेहरा पिता रामेश्वर मेहरा (AKSHITA MEHRA D/O RAMESHVAR MEHRA) हैं। परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश अंक्शीता मेहरा पिता रामेश्वर मेहरा (ANKSHITA MEHRA D/O RAMESHWER MEHRA) लिखा गया हैं। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम मेरी पुत्री की कक्षा 10 वीं की अंकसूची में दर्ज होने से प्रमाणित हैं। जिसे में मेरी पुत्री के आधार कार्ड/ शासकीय / अशासकीय/शैक्षणिक/अशैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ यह की अक्षिता मेहरा पिता रामेश्वर मेहरा (AKSHITA MEHRA D/O RAMESHVAR MEHRA) व अंक्शीता मेहरा पिता रामेश्वर मेहरा (ANKSHITA MEHRA D/O RAMESHWER MEHRA) दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं अर्थात मेरी पुत्री के ही नाम हैं। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके वास्तविक सही नाम अक्षिता मेहरा पिता रामेश्वर मेहरा (AKSHITA MEHRA D/O RAMESHVAR MEHRA) से जाना पहचाना एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम- अंक्शीता मेहरा पिता रामेश्वर मेहरा (ANKSHITA MEHRA D/O RAMESHWER MEHRA)

नया नाम- अक्षिता मेहरा पिता रामेश्वर मेहरा (AKSHITA MEHRA D/O RAMESHVAR MEHRA)

भवदीय
रामेश्वर मेहरा आत्मज मोतीलाल मेहरा निवासी ग्राम चौराहेट तहसील माखन नगर जिला नर्मदपुरम, मध्यप्रदेश

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, के चन्द्रशेखर आ. श्री कप्पू स्वामी आयु वयस्क, निवासी-म.नं. 1080, एन 2 डी सेक्टर, पिपलानी, बी.एच.ई.एल., भोपाल, म.प्र. है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश धीरगवन आ. श्री के चन्द्रशेखर (DHEERGAWAN S/O K CHANDRASHEKHAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम सी धीरगन आ. श्री के चन्द्रशेखर (C DHEERGAN S/O K CHANDRASHEKHAR) है जो कि मेरे पुत्र के जन्मप्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपने पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ।

प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम सी धीरगन आ. श्री के चन्द्रशेखर (C) DHEERGAN S/O K CHANDRASHEKHAR) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम- धीरगवन आ. श्री के चन्द्रशेखर (DHEERGAWAN S/O K CHANDRASHEKHAR)

नया नाम- सी धीरगन आ. श्री के चन्द्रशेखर (CDHLERGAN S/O K CHANDRASHEKHAR)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है की मैं कैलाश केवट, पिता श्री रामदास केवट, आयु वयस्क, निवासी सर्रा, मंगरोल, बरेली, रायसेन, मध्य प्रदेश 464668 यह घोषणा करता हूँ की मेरे पुत्र का सही एवं वास्तविक नामअरुण कुमार (ARUN KUMAR) है। किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम तरुण (TARUN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है। जिसे मैं मेरे पुत्र के आधार कार्ड/ शासकीय/ अशासकीय/शैक्षणिक /अशैकक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह की तरुण (TARUN) व अरुण कुमार (ARUN KUMAR) दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे पुत्र के है। प्रकाशन के उपरान्त मेरे पुत्र को उसके वास्तविक व सही नाम अरुण कुमार (ARUN KUMAR) के नाम से जाना पहचाना एवं पड़ा जावे।

पुराना नाम- तरुण (TARUN)

नया नाम- अरुण कुमार (ARUN KUMAR)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है की मैं संजय वाघमारे, पिता शंकर वाघमारे, आयु वयस्क, निवासी मालेगांव, पोस्ट पर?सिंगा, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश 464668, यह घोषणा करता हूँ की मेरे पुत्र का सही एवं वास्तविक नाम दिपांशु वाघमारे (DIPANSHU WAGHMARE) है। किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम दीवांशु वघमारे (DIVANSHU VAGHAMARE) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है। जिसे मैं मेरे पुत्र के आधार कार्ड/ शासकीय/ अशासकीय/ शैक्षणिक/अशैकक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह की दीवांशु वघमारे (DIVANSHU VAGHAMARE) व दिपांशु वाघमारे (DIPANSHU WAGHMARE) दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे पुत्र के है। प्रकाशन के उपरान्त मेरे पुत्र को उसके वास्तविक व सही नाम दिपांशु वाघमारे (DIPANSHU WAGHMARE) के नाम से जाना पहचाना एवं पड़ा जावे।

पुराना नाम- दीवांशु वघमारे (DIVANSHU VAGHAMARE)

नया नाम- दिपांशु वाघमारे (DIPANSHU WAGHMARE)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है की मैं राजेंद्र सिंह, पिता श्री विक्रम सिंह, आयु वयस्क, ग्राम पनवाड़ी, पनवाड़ी, राजगड़ मध्य प्रदेश 465685 यह घोषणा करता हूँ की मेरे पुत्र का सही एवं वास्तविक नाम जीवन सिंह राजपूत (JEEWAN SINGH RAJPUT) है। किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम जीवन (JIVAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है। जिसे मैं मेरे पुत्र के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय/शैक्षणिक /अशैकक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह की जीवन (JIVAN) व जीवन सिंह राजपूत (JEEWAN SINGH RAJPUT) दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे पुत्र के है। प्रकाशन के उपरान्त मेरे पुत्र को उसके वास्तविक व सही नाम जीवन सिंह राजपूत (JEEWAN SINGH RAJPUT) के नाम से जाना पहचाना एवं पड़ा जावे।

पुराना नाम- जीवन (JIVAN)

नया नाम- जीवन सिंह राजपूत (JEEWAN SINGH RAJPUT)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है की मैं नीरज जैन, पिता कैलाश जैन, आयु वयस्क, निवासी मकान नं. 236, वार्ड नं. 08, अजनास, देवास, मध्यप्रदेश 455336, यह घोषणा करता हूँ की मेरा सही एवं वास्तविक नाम नीरज जैन (NEERAJ JAIN) है। किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम नीरज कुमार (NEERAJ KUMAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरा वास्तविक व सही नाम मेरे अंकसूची में दर्ज होने से प्रमाणित है। जिसे मैं मेरे आधार कार्ड/शासकीय/ अशासकीय/ शैक्षणिक/ अशैकक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह की नीरज जैन (NEERAJ JAIN) व नीरज कुमार (NEERAJ KUMAR) दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे नाम है। प्रकाशन के उपरान्त मुझे मेरे वास्तविक व सही नाम नीरज जैन (NEERAJ JAIN) के नाम से जाना पहचाना एवं पड़ा जावे।

पुराना नाम- नीरज कुमार (NEERAJ KUMAR)

नया नाम- नीरज जैन (NEERAJ JAIN)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है की मैं गोविन्द काछी, पिता कमल, आयु वयस्क, निवासी ग्राम कूड़ई, पोस्ट कूड़ई, जिला दमोह, मध्य प्रदेश 470772, यह घोषणा करता हूँ की मेरा सही एवं वास्तविक नाम गोविन्द काछी (GOVIND KACHHI) है। किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम गोविन्द्र काछी (GOVINDRA KACHHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरा वास्तविक सही नाम मेरे अंकसूची में दर्ज होने से प्रमाणित है। जिसे मैं मर आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय/शैक्षणिक /अशैकक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह की गोविन्द्र काछी (GOVINDRA KACHHI) व गोविन्द काछी (GOVIND KACHHI) दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे है। प्रकाशन के उपरान्त मुझे मेरे वास्तविक व सही नाम गोविन्द काछी (GOVIND KACHHI) के नाम से जाना पहचाना एवं पड़ा जावे।

पुराना नाम- गोविन्द्र काछी (GOVINDRA KACHHI)

नया नाम- गोविन्द काछी (GOVIND KACHHI)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है की मैं दिनेश गुर्जर, पिता श्री बद्रीप्रसाद, आयु वयस्क, ग्राम आबिदाबाद, इछावर, जिला सीहोर मध्य प्रदेश 466111, यह घोषणा करता हूँ की मेरे पुत्र का सही एवं वास्तविक नाम अनुराग गुर्जर (ANURAG GURJAR) है। किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अन्नू (ANNU) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है। जिसे मैं मेरे पुत्र के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय/शैक्षणिक/अशैकक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह की अन्नू (ANNU) व अनुराग गुर्जर (ANURAG GURJAR) दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे पुत्र के है।

प्रकाशन के उपरान्त मेरे पुत्र को उसके वास्तविक व सही नाम अनुराग गुर्जर (ANURAG GURJAR) के नाम से जाना पहचाना एवं पड़ा जावे।

पुराना नाम- अन्नू (ANNU)

नया नाम- अनुराग गुर्जर (ANURAG GURJAR)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है की मैं समसु डामोर, पिता जामुसिंह, ग्राम गोरियाखांदान, काकनवानी जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश 457777, यह घोषणा करता हूँ की मेरे पुत्री का सही एवं वास्तविक नाम ममता डामोर (MAMTA DAMOR) है। किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम MANGA DAMO अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरे पुत्री का वास्तविक व सही नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है। जिसे मैं मेरे पुत्री के आधार कार्ड/ शासकीय/ अशासकीय/ शैक्षणिक/ अशैकक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह की MANGA DAMO व ममता डामोर (MAMTA DAMOR) दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे पुत्री के है।

प्रकाशन के उपरान्त मेरे पुत्री को उसके वास्तविक व सही नाम ममता डामोर (MAMTA DAMOR) के नाम से जाना पहचाना एवं पड़ा जावे।

पुराना नाम- MANGA DAMOR

नया नाम- ममता डामोर (MAMTA DAMOR)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

मैं राम्मू लाल आदिवासी पिता मजबूत सिंह निवासी - ग्गप्रम गुटोरी पोस्ट प्रतापगढ़ तह. सिलवानी जिला रायसेन, म.प्र । यह कि मेरे आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश मजबूत सिंह (MAJBUT SINGH) दर्ज हो गया है. जो कि गलत है जबकि मेरे अन्य दस्तबेजो पर राम्मू लाल आदिवासी (RAMMOO LAL AADIWASI) नाम दर्ज है, जो कि सही है, अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय /अशासकीय / व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम राम्मू लाल आदिवासी (RAMMOO LAL AADIWASI) के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम- मजबूत सिंह (MAJBUT SINGH)

नया नाम- राम्मू लाल आदिवासी (RAMMOO LAL AADIWASI)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

मैं कालूराम पिता हल्केवीर निवासी ग्राम अगरिया तह. गैरतगंज जिला रायसेन, म.प्र । यह कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश सुरेंद्र गुर्जर (SURENDRA GURAJR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र पर कृष्ण कांत गुर्जर, (KRISHAN KANT GURJAR) नाम दर्ज है, जो कि सही है, अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय / अशासकीय / व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम कृष्ण कांत गुर्जर (KRISHAN KANT GURJAR) के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे ।

पुराना नाम- सुरेंद्र गर्जर (SURENDRA GURAJR)

नया नाम- कृष्णकंत गुर्जर (KRISHAN KANT GURJAR)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

मैं मोहम्मद खान पिता रशीद खान निवासी ग्राम मोठी तहसील सागर जिला, सागर म.प्र. यह कि मेरे आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश जुम्मन खान (JUMMAN KHAN) दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरे वोटर कार्ड पर मोहम्मद खान, (MOHAMMAD KHAN) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय / अशासकीय / व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम मोहम्मद खान, (MOHAMMAD KHAN) के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढा दर्ज किया जावे ।

पुराना नाम- जुम्मन बान (JUMMAN KHAN)

नया नाम- मोहम्मद खान (MOHAMMAD KHAN)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

मैं भगवानसिंह पिता गयाप्रसाद निवासी पिपलिया खुर्द गैरतगंज, जिला, रायसेन म.प्र.यह कि मेरे आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश मोबत सिंह (MOBAT SINGH) दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरे वोटर कार्ड पर भगवान सिंह, (BHAGVANSINGH) नाम दर्ज है, जो कि सही है, अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय / अशासकीय / व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम भगवानसिंह (BHAGVANSINGH) के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे ।

पुराना नाम- मोबत सिंह (MOBAT SINGH)

नया नाम- भगवानसिंह (BHAGVANSINGH)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

मैं भूपेंद्र सिंह पिता प्रेमनारायण निवासी ग्गाम पिपलिया कलां तह. सिलवानी जिला रायसेन, म.प्र। यह कि मेरे आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश अखलेश लोधी (AKHLESH LODHI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है जबकि मेरे अन्य दस्तबेजो पर भूपेंद्र सिंह (BHUPENDRA SINGH) नाम दर्ज है, जो कि सही है, अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय/ अशासकीय / व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम भूपेंद्र सिंह (BHUPENDRA SINGH) के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम- अखलेश लोधी (AKHLESH LODHI)

नया नाम- भूपेंद्र सिंह (BHUPENDRA SINGH)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

मैं अशोककुमार पिता बिहारीलाल निवासी ग्राम अंधयारी तहसील गैरतगंज, जिला, रायसेन म.प यह कि मेरे आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश जयगोविंद (JAYGOVIND) दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरे वोटर कार्ड पर अशोककुमार (ASHOKAKUMAR) नाम दर्ज है, जो कि सही है, अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय / अशासकीय / व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम अशोककुमार (ASHOKAKUMAR) के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम- जयगोविंद (JAYGOVIND)

नया नाम- अशोक कुमार (ASHOKA KUMAR)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

मैं गोविन्द सिंह पिता सुखराम निवासी ग्राम आंवरिया तहसील गैरतगंज जिला, रायसेन म.प्र यह कि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश स्वार्ती (SWARTI) दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों पर अन्शका गौर, (ANSHKA GOUR) नाम दर्ज है, जो कि सही है, अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय / अशासकीय / व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम अन्शका गौर (ANSHKA GOUR) के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम- स्वार्ती (SWARTI)

नया नाम- अन्शका गौर U (ANSHKA GOUR)

नाम/उपनाम परिवर्तन सूचना

मैं अजय सिंह यादव पिता जालम सिंह निवासी ग्राम खजूरी कलां तहसील हुजूर जिला, भोपाल म.प यह कि मेरे आधार कार्ड में नाम त्रुटिवश अनारलाल (ANARLAL) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है जबकि मेरे वोटर कार्ड पर अजय सिंह यादव, (AJAY SINGH YADAV) नाम दर्ज है, जो कि सही है, अतः राजपत्र प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय / अशासकीय / व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में सही नाम अजय सिंह यादव, (AJAY SINGH YADAV) के नाम से जाना पहचाना एवं लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे ।

पुराना नाम- अनारलाल (ANARLAL)

नया नाम- अजय सिंह यादव (AJAY SINGH YADAV)

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, उषा बाई पत्नि श्री मनीष रघुवंशी, आयु वयस्क, निवासी-ग्राम डुंगारिया, पोस्ट जैथारी, तह. सिलवानी, जैतहरी, रायसेन, म.प्र. है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश आरध्या रघुवंशी पुत्री श्री मनीष रघुवंशी (AARADHYA RAGHUWANSHI D/O MANISH RAGHUWANSHI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम समिका रघुवंशी पुत्री श्री मनीष रघुवंशी (SAMIKA RAGHUWANSHI D/O MANISH RAGHUWANSHI) है जो कि मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपनी पुत्री के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहती हूँ। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम समिका रघुवंशी पुत्री श्री मनीष रघुवंशी (SAMIKA RAGHUWANSHI D/O MANISH RAGHUWANSHI) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम- आरध्या रघुवंशी पुत्री श्री मनीष रघुवंशी (AARADHYA RAGHUWANSHI D/O MANISH RAGHUWANSHI)

नया नाम- समिका रघुवंशी पुत्री श्री मनीष रघुवंशी (SAMIKA RAGHUWANSHI D/O MANISH RAGHUWANSHI)

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, मोहन शर्मा आ. श्री प्रेमनारायण शर्मा, आयु वयस्क, निवासी-म.नं.151, वार्ड नं. 12, तिवादिया, देवास, म.प्र. है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश (RAGHAV SHARMA S/O MOHAN SHARMA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम राज शर्मा आ. श्री मोहन शर्मा (RAJ SHARMA S/O MOHAN SHARMA) है जो कि मेरे पुत्र के जन्मप्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपने पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ। प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम राज शर्मा आ. श्री मोहन शर्मा (RAJ SHARMA S/O MOHAN SHARMA) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम- (RAGHAV SHARMA S/O MOHAN SHARMA)

नया नाम- राज शर्मा आ. श्री मोहन शर्मा (RAJ SHARMA S/O MOHAN SHARMA)

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, दशरथ सिंह लोधी आ. श्री पहोप सिंह लोधी, आयु वयस्क, निवासी-टीला खुर्द, तह. गैरतगंज, जिला रायसेन, म.प्र. है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड में मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश (DEEPAK S/O SHASHI BAI LODHI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम दीपेश लोधी आ. श्री दशरथ सिंह लोधी (DEEPESH LODHI S/O DASHRATH SINGH) है जो कि मेरे पुत्र के जन्मप्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपने पुत्र के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ। प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम दीपेश लोधी आ. श्री दशरथ सिंह लोधी (DEEPESH LODHI S/O DASHRATH SINGH) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम- (DEEPAK S/O SHASHI BAI LODHI)

नया नाम- दीपेश लोधी आ. श्री दशरथ सिंह लोधी (DEEPESH LODHI S/O DASHRATH SINGH)

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, श्री सोबरन सिंह, पिता श्री लालजी राम, निवासी 121/1, प्रेमपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश, यह कि मेरे पुत्र का सही, वास्तविक एवं प्रचलित नाम 'तनिष विश्वकर्मा (Tanish Vishwakarma)' है। किन्तु त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम 'तोरन विश्वकर्मा (Toran Vishwakarma)' अंकित हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

अतः सर्वसाधारण एवं समस्त शासकीय विभागों, संस्थाओं, प्राधिकरणों एवं संबंधित अभिलेख रखने वाले अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही, वास्तविक एवं मान्य नाम 'तनिष विश्वकर्मा (Tanish Vishwakarma)' ही है। भविष्य में मेरे पुत्र को 'तनिष विश्वकर्मा (Tanish Vishwakarma)' नाम से ही जाना, पहचाना, लिखा एवं पढ़ा जाए तथा उसके समस्त शासकीय, शैक्षणिक, आधार, बैंकिंग एवं अन्य अभिलेखों में इसी नाम को सही एवं मान्य माना जाए।

प्रार्थी
(श्री सोबरन सिंह)
पिता - श्री लालजी राम

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जयनारायण उर्फ कलू ठाकुर पिता शालकराम सिंह ठाकुर निवासी- 17/2 सूरजपुरा सूरजपुरा राजा बिलेहरा बक्स्वाहा सागर बक्स्वाहा मध्य प्रदेश है यह की मेरी पुत्री का सही नाम देविका दांगी पिता जयनारायण उर्फ कलू ठाकुर (DEVIKA DANGI D/O JAYNARAYAN URF KALU THAKUR) है परंतु मेरी पुत्री के आधार कार्ड मे त्रुटिवस नाम देवी पिता जयनारायन उर्फ कलू ठाकुर (DEVI D/O JAYNARAYAN URF KALU THAKUR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम कक्षा आठवी की मार्कसीट में भी अंकित है तथा जन्म प्रमाण पत्र में भी दर्ज है। तथा सहीं नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों मे भी दर्ज किया जावें। अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम देविका दांगी पिता जयनारायण उर्फ कलू ठाकुर (DEVIKA DANGI D/O JAYNARAYAN URF KALU THAKUR) के नाम से जाना, पहचाना एवं पढ़ा लिखा जावें।

पुराना नाम- देवी (DEVI)

नया नाम- देविका दांगी (DEVIKA DANGI)

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, जोगडी बाई भील पत्नि श्री ज्वान सिंह भील, आयु वयस्क, निवासी-गांव कामतोन, कामतोन कान्सिया, रायसेन, म. प्र. है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश सरदो पुत्री श्री ज्वान सिंह भील (SARDO D/O JVAN SINGH BHEEL) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम शारदा पुत्री श्री ज्वान सिंह भील (SHARDA D/O JUWAN SINGH BHEEL) है जो कि मेरी पुत्री के जन्मप्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपनी पुत्री के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम शारदा पुत्री श्री ज्वान सिंह भील (SHARDA D/O JUWAN SINGH BHEEL) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम- सरदो पुत्री श्री ज्वान सिंह भील (SARDO D/O JVAN SINGH BHEEL)

नया नाम- शारदा पुत्री श्री ज्वान सिंह भील (SHARDA D/O JUWAN SINGH BHEEL)

आम सूचना नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश आ. श्री मायाराम, आयु वयस्क, निवासी-म.नं. 1 से 50, तह. सिराली, दीपगाँव कालन, हरदा, म.प्र. है। मेरी पुत्री के आधार कार्ड में मेरी पुत्री का नाम त्रुटिवश डाली पुत्री श्री मुकेश सिंह राजपूत (DALI D/O MUKESH SINGH RAJPUT) अंकित हो गया है जो कि गलत है। मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम डोली राजपूत पुत्री श्री मुकेश (DOLLY RAJPUT D/O MUKESH) है जो कि मेरी पुत्री के जन्मप्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज होने से प्रमाणित है, जो कि मैं अपनी पुत्री के आधार कार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूँ। प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम डोली राजपूत पुत्री श्री मुकेश (DOLLY RAJPUT D/O MUKESH) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम- डाली पुत्री श्री मुकेश सिंह राजपूत (DALI D/O MUKESH SINGH RAJPUT)

नया नाम- डोली राजपूत पुत्री श्री मुकेश (DOLLY RAJPUT D/O MUKESH)

जाहिर सूचना/नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया है की मैं हरचरण चढ़ार, पिता निरपत, आयु वयस्क, निवासी-हाउस न. 108, गोविंद नगर, इंदौर, इंदौर जी. पी. इंदौर मध्य प्रदेश -4520001, यह घोषणा करता हूँ की मेरे पुत्री का सही एवं वास्तविक नाम तुलसा चढ़ार (TULSA CHADAR) है। किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम हिमांशी (HIMANSHI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरे पुत्री का वास्तविक व सही नाम उसके जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज होने से प्रमाणित है। जिसे मैं मेरे पुत्री के कार्ड/ शासकीय/ अशासकीय/ शैक्षणिक/ अशैकक्षणिक दस्तावेजो में दर्ज करवाना चाहता हूँ। यह की हिमांशी (HIMANSHI) व तुलसा चढ़ार (TULSA CHADAR) दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे पुत्री के है। आधार प्रकाशन के उपरान्त मेरे पुत्री को उसके वास्तविक व सही नाम तुलसा चढ़ार (TULSA CHADAR) के नाम से जाना पहचाना एवं पड़ा जावे।

पुराना नाम हिमांशी (HIMANSHI)

नया नाम तुलसा चढ़ार (TULSA CHADAR)